न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारीः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

दावा सं0 259/21

दायर दिनांक 01.09.2021

निर्णय दिनांक 13.12.2024

उनवान

1. अनिल पुत्र श्री विरेन्द्र
2. कमला देवी पत्नी श्री विरेन्द्र
3. कुसुम पुत्री विरेन्द्र
4. महेन्द्र पुत्र श्री जीतसिंह जातियान अहीर निवासीयान सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लैण्ड होल्डर मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. रामप्रताप
3. शिवप्रसाद
4. महेशचन्द पुत्रान श्री मनोहरलाल
5. भोमाराम पुत्र श्री मक्खन जातियान महाजन निवासीयान जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:–प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक अन्तर्गत धारा 88,89 व धारा 15 राज0काश्त0अधि0 धारा 09 राज0भू0राज0अधि0

उपस्थितिः– 1.वादीगण की ओर से श्री अखिलेश शर्मा वकील।
2. प्रतिवादीगण सं0 2 लगा 05 की एकपक्षीय कार्यवाही ।
3. प्रतिवादी सं0 1 का जवाब पेश ।

निर्णय

दावें के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–

वाद वादीगण पेश कर निवेदन किया है कि आराजी ख0नं0 516/0.73हे0, 517/0.05हे0, 518/0.92हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.70हे0 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 मे स्थित है। जो प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।

आराजी खसरा नं0 516/0.73हे0, 517/0.05हे0, 518/0.92हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.70हे0 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर मिन वादी सं0 1 लगा0 3 के पिता/पति श्री विरेन्द्र व ताऊजी/जेठजी श्री महेन्द्र वादी सं0 2 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। जिसका 7/8 भाग विरेन्द्र, महेन्द्र पुत्रान श्री जीतसिंह के खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, तथा 1/8 हिस्सा प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदार का अंकन चला आ रहा है। परन्तु सम्पूर्ण हिस्से को विरेन्द्र व महेन्द्र आरम्भ से ही प्रतिवादीगण सं 2 लगा0 5 की जानकारी में जोतते बोते रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

अब मिन वादी सं0 1 लगा0 3 के पिता/पति श्री विरेन्द्र का स्वर्गवास हो जाने के बाद से मिन वादी सं0 1 लगा0 3 वादी सं0 2 के साथ मिलकर सामलात में काश्त कर रहे है, मौके पर मिन वादीगण का सम्पूर्ण हिस्से पर वास्तविक कब्जा है।

मिन वादीगण के कब्जे काश्त बाबत् प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 5 को आरम्भ से ही जानकारी रही है, जिन्होंने आज तक कभी भी मिन वादीगण को अपने नाम दर्ज हिस्से 1/8 की जद तक फसल बोने व दरों करने से ना तो मना किया ना ही कोई मजाहमत की व ना ही मिन वादीगण से अपने हिस्से पर दखल चाहा। मिन वादीगण खुल्लम खुल्ला प्रतिवादीगण को जानकारी में रहते हुये बाकब्जा फसल बो रहे है व दरों आदि करते चले आ रहे है। जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को सदा से चली आ रही हैं।

मिन वादीगण का कब्जा 50 वर्षो से ज्यादा से उक्त आराजीयात के सम्पूर्ण हिस्से पर चला आ रहा है, जिसे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मिन वादीगण जरिये एडवर्स पजेशन खातेदार काश्तकार हो गये, राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज किया जावे।

मिन वादीगण ने प्रतिवादीगण को आराजी मिन वादीगण के नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया तो कतई इंकार हो गये और कहा कि हम अपने आप से खातेदार दर्ज करवाने नही जायेंगें जरिये कानून या अदालती कार्यवाही से आप अपने नाम दर्ज करवा सकते हो तो करवा लो हम कानूनी लफडे में नही पडेगें तथा धमकी दी कि हम राजस्व रिकार्ड में अंकन के आधार पर आराजी को रहन बय करके खुर्द बुर्द करेंगें जिससे दावा हाजा करना लाजिम आया है।

मिन वादीगण जरिये एडवर्स पजेशन सम्पूर्ण आराजी पर खातेदार दर्ज करवाने के अधिकारी है और जो अंकन राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 5 का 1/8 हिस्से तक चला आ रहा है काटा जाकर मिन वादीगण को उक्त आराजीयात के सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे।

अतः दावा हाजा पेश कर अर्ज है कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें:–

अ– डिक्री इजराय बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जावें कि आराजी हाल खसरा नं0 516/0.73हे0, 517/0.05हे0, 518/0.92हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.70हे0 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के सम्पूर्ण भाग के वादीगण खातेदार काश्तकार है, तथा जो अंकन 1/8 की जद तक प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 5 का चला आ रहा है, काटा जावे।

ब– खर्चा मुकदमा मिन वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

स– दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत श्रीमान हो बख्शी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी सं0 2 लगा0 5 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे। इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 1 तहसीलदार मुण्डावर का बिन्दुवार जवाब प्राप्त हुआ जवाब के अनुसार दावा वादी स्वंय सिद्ध करें।

जवाब प्राप्त होने पर पत्रावली साक्ष्य वादी नियत की गई। वादी ने बतौर साक्ष्य पीडब्लू–1 अनिल पुत्र विरेन्द्र शपथ पत्र , पीडब्लू–2 सुमेर सिंह पुत्र गुरूदयाल, पीडब्लू–3 महेन्द्र पुत्र जीतसिंह, पीडब्लू–4 तेजवीर दत्तक पुत्र श्योलाल के शपथ–पत्र पेश किये। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 2072–75, प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत 2068–71, प्रदर्श– 3 जमाबंदी संवत 2060–63, प्रदर्श–4 2064–67, प्रदर्श– 5 जमाबंदी संवत 2056, प्रदर्श–6 2048, प्रदर्श–7 मौका पर्चा पटवारी दिनांक 06.12.2021 , प्रदर्श 8 सरपंच ग्राम पंचायत भुनगडा अहीर अनात्ति प्रमाण पत्र, प्रदर्श–9 जमाबदी संवत 2009, प्रदर्श– 10 मिलान क्षेत्रफल/क्षेत्रफल

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (कोटपूतली-बहरोड़)

Scanned with OKEN Scanner

तुलनात्मक पत्र पेश किये तथा दावे के साथ अन्य दस्तावेज रसीद दिनांक 03.12.82 की छाया प्रति, बयनामा दिनांक 19.12.89 की फोटो कोपी पेश की है। साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाकर वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील वादी ने दौराने बहस इकरारनामा दिनांक 05.8.89 की असल प्रति पेश की जिस पर प्रदर्श– 11 अंकित करने की अनुमति दी गई। तथा विक्रयनामा दिनांक 19.12.1989 की असल प्रति पेश की जिस पर प्रदर्श–12 अंकित करने की अनुमति दी गई है।

दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि विवादित आरजी के संपूर्ण हिस्से को वादीगण के पूर्वज महेन्द्र, जितेन्द्र पुत्रान जीतसिंह द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 05.08.89 क्रय किया गया है तथा करार की संपूर्ण राशि विक्रेतागण को चुकताकर संपूर्ण आराजी का कब्जा प्राप्त किया है और तभी से वादीगण उक्त आरजी पर लगातार कब्जा काश्तकार है। वादीगण का कब्जा वादीगण की और से कराये गये गवाह एवं पटवारी रिपोर्ट से भी साबित होता है। इकरारनामें के जरिये कुल खरीदशुदा रकबे 6 बीघा 15 बिस्वा में से प्रतिवादीगण 2 लगा0 05 के अतिरिक्त सभी दीगर काश्तकारो द्वारा उक्त रकबे मे से उनके हिस्से 7/8 हिस्से का रजि0 बयनामा भी वादीगण के पूर्वजो के रूप में करादिया तथा उसका नामांतरण की खुल चुका हे परंतु प्रति0 2 लगा 05 किसी कारणवश उपस्थित नही हो पाये थे इसलिए उनके 1/8 हिस्से का बयनामा में अंकन नही किया गया। तथा उस हिस्से का नामांतरण आज भी नही खुल पाया है जबकि इकरानामें की दिनांक से ही विवादित आराजी के संपूर्ण हिस्से पर वादीगण/वादीगण के पूर्वजो का कब्जा रहा है तथा इकरारनामें की संपूर्ण रकम को वादीगण द्वारा विक्रेतागण को चुकता कर कब्जा लिया है। इकरारनामें में प्रतिवादीगण का विक्रेता के रूप में स्पष्ट उल्लेख है परंतु फिर भी प्रतिवादीगण उस हिस्से की रजिस्ट्री वादीगण के पक्ष में नही करा रहें है और न ही न्यायालय श्रीमान में उपस्थित हुए है। वादीगण बोनाफाइड पर्जेजर है तथा चूकता रकम जमा कराकर कब्जे शुदा काश्तकार है परंतु राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी के 1/8 हिस्से का इंद्राजात प्रतिगण के पक्ष में होने से पीडित है। वादीगण वैध खरीद एवं कब्जे के आधार पर स्वंय को विवादित आराजी के शेष 1/8 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित करापाने के अधिकारी हैं। अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि विवादित आराजी के संबंध में 1/8 हिस्से पर प्रतिगण के हो रहे गलत इंद्राजात को हजफ करते हुए वादीगण को उस हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

संलग्न जमाबंदीयात प्रदर्श 1 लगा 6 में ख0न0 516, 518, 517 कुल किता 3 क्षेत्रफल 1.7 हे0 के संबध में वादीगण के पूर्वजो का 7/8 हिस्सा अंकन है तथा शेष हिस्से पर प्रति0 सं0 02 लगा0 5 का नाम अंकित है।

फर्द मौका पटवारी दि0 06.12.2021 में आराजी ख0न0 635 रकबा 0.73 है0, 636 रकबा 0.06है0, 637 रकबा 0.92 है0, वाके ग्राम भुनगडा ठेठर साबिक ख0न0 516 रकबा 0.73 है0, 517 रकबा 0.05 है0, 518 रकबा 0.92 है0 के संपूर्ण हिस्से पर काश्तकार महेन्द्र पुत्र जीतसिंह 1/2 व अनिल पुत्र विरेन्द्र , कमला पत्नि विरेन्द्र एवं कुसुम पुत्री विरेन्द्र को 1/2 भाग पर कब्जेकाश्त बताया गया है। तथा खसरा नम्बरों पर कोई विवाद या न्यायालय स्थगन नही होना बताया गया है। प्रस्तुत साक्ष्य पीडब्लू–1 लगा0 पीडब्लू–4 में भी वादीया को विवादित आराजी के संपूर्ण हिस्से पर काबिज काश्तकार बताया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (जिला-अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत इकरानामा दिनांक 05.08.1989 में रामप्रताप, शिवप्रसाद, महेशचंद पुत्रान मनोहरलाल तथा भौमाराम पुत्र मक्खन का नाम दीगर विक्रेतागण के साथ विक्रेतागण के रूप में तथा विरेन्द्र, महेन्द्र पुत्रान जीतसिंह का नाम क्रेतागण के रूप में अंकित है। इकरारनामा में ख0न0 516,517, 518 कुल किता 3 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा के बेचान का सौदा 25000 रू0 प्रति बीघा के हिसाब से कुल 1,68,750 रूपयें में होने का तथा चुकता रकम वसूल पाकर कब्जा आराजी पर खरीददार को दिये जाने का अंकन है। इकरारनामें पर क्रेता एवं विक्रेतागण के हस्ताक्षर भी मौजूद है।

प्रस्तुत विक्रयनामा दिनांक 19.12.1989 में रामप्रताप, शिवप्रसाद, महेशचन्द पुत्रान मनोहरलाल तथा भौमाराम पुत्र मक्खन का नाम विक्रेतागण के रूप में अंकित नही है बल्कि दीगर काश्तकारों का नाम विक्रेतागण के रूप में अंकित है। विक्रयनामा में दीगर काश्तकारों द्वारा ख0नं0 516,517,518 कुल किता 3 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा का 63/72 हिस्सा 25000 रू प्रति बीघा के हिसाब से 1,50,000/– रू0 में विक्रेतागण महेन्द्र, विरेन्द्र पुत्रान जीतसिंह को बेचान करने का अंकन है तथा राशि वसूल पाकर कब्जा क्रेतागण को दिये जाने का अंकन है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा इकरारनामा दिनांक 05.08.89 द्वारा ख0न0 516,517,518 के संपूर्ण रकबे 6 बीघा 15 बिस्वा को क्रय किया गया है तथा वादीगण द्वारा इकरारनामें की संपूर्ण राशि को चुकता करते हुए कब्जा प्राप्त किया है तथा आज भी वादीगण संपूर्ण हिस्से पर काबिज काश्तकार है जिसकी पुष्टि वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं मौका पर्चा पटवारी रिपोर्ट से होती है। संपूर्ण राशि चुकाने के बावजूद भी, प्रतिवादी सं0 2लगा0 5 द्वारा अपने हिस्सा का बयनामा वादीगण के पक्ष में नही कराया गया है जिस कारण राजस्व रिकार्ड में आज भी प्रति0 2 लगा 05 का नाम उक्त हिस्से के संबंध में दर्ज है जो विधिसंगत नही कहा जा सकता । चूंकि प्रतिवादीगण अपने संपूर्ण हिस्से का बेचान वादीगण के पक्ष में पूर्व में ही कर चुके है इसलिए राजस्व रिकार्ड में उनके नाम इंद्राजात का औचित्य नही है। वादीगण को प्रतिवादी गण के गलत दर्ज हो रहे हिस्से के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण स्वीकार करते हुए डिक्री किया जाता है तथा वादीगण को विवादित आराजी ख0न0 635 रकबा 0.73 है0, 636 रकबा 0.06है0, 637 रकबा 0.92 है0, कुल किता 03 रकबा 1.70 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर के संपूर्ण भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रिकार्ड में जो अंकन विवादित आराजी के 1/8 हिस्से पर प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 05 का चला आ रहा है उसे हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा रजिस्टर्ड बयनामा नही कराये जाने के कारण स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क आदि की राजस्व हानि की संभावना को देखते हुए तहसीलदार मुण्डावर को आदेश दिये जाते है कि कोई राजस्व की बकाया हो तो उसकी गणना कर वादीगण से वसूल करने के उपरांत आदेशानुसार अमलदरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो । सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(मनीष कुमार जादिव)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारीः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

दावा सं0
259/21

दायर दिनांक
01.09.2021

निर्णय दिनांक
13.12.2024

उनवान

1. अनिल पुत्र श्री विरेन्द्र
2. कमला देवी पत्नी श्री विरेन्द्र
3. कुसुम पुत्री विरेन्द्र
4. महेन्द्र पुत्र श्री जीतसिंह जातियान अहीर निवासीयान सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लैण्ड होल्डर मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. रामप्रताप
3. शिवप्रसाद
4. महेशचन्द पुत्रान श्री मनोहरलाल
5. भोमाराम पुत्र श्री मक्खन जातियान महाजन निवासीयान जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:–प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक अन्तर्गत धारा 88,89 व धारा 15 राज0काश्त0अधि0 धारा 09 राज0भू0राज0अधि0

उपस्थितिः– 1.वादीगण की ओर से श्री अखिलेश शर्मा वकील।
2. प्रतिवादीगण सं0 2 लगा 05 की एकपक्षीय कार्यवाही ।
3. प्रतिवादी सं0 1 का जवाब पेश ।

पर्चाडिक्री

अतः दावा वादीगण स्वीकार करते हुए डिक्री किया जाता है तथा वादीगण को विवादित आराजी ख0न0 635 रकबा 0.73 है0, 636 रकबा 0.06है0, 637 रकबा 0.92 है0, कुल किता 03 रकबा 1.70 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर के संपूर्ण भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रिकार्ड में जो अंकन विवादित आराजी के 1/8 हिस्से पर प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 05 का चला आ रहा है उसे हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा रजिस्टर्ड बयनामा नही कराये जाने के कारण स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क आदि की राजस्व हानि की संभावना को देखते हुए तहसीलदार मुण्डावर को आदेश दिये जाते है कि कोई राजस्व की बकाया हो तो उसकी गणना कर वादीगण से वसूल करने के उपरांत आदेशानुसार अमलदरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो । सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner